कश्मीर समस्या : भारत और पाकिस्तान के विचारों का एक अध्ययन

प्रदीप कुमार
रिसर्च स्कॉलर
इतिहास विभाग,
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,
रोहतक(हरियाणा)

कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान की संयुक्त समस्या है। इस समस्या का उदय भारत व पाकिस्तान के आजाद होने के बाद हुआ। जिसके उपरान्त 1947 में भारत व पाकिस्तान के बीच पहला झगड़ा हुआ था इसके बाद यह समस्या निरंतर बढ़ती ही चली गई और आज तक चली आ रही है। दोनों देशों ने इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उठाया लेकिन वहां भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। इस तरह इस समस्या के ऊपर दोनों देशों के विचारों का अध्ययन इस लेख के माध्यम से किया जाएगा।

भारत और पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर अपना–अपना अधिपत्य जमाने हेतू 1947, 1965, 1999 में युद्ध लड़े गये, लेकिन फिर भी यह समस्या निरंतर वहीं पर बनी रही और आज तक इस समस्या का कोई हल नही निकल सका। 2010 में एक लेख द्वारा भारत को कश्मीर के 43 प्रतिशत भाग पर प्रशासनिक तौर पर अपना अधिकार बताया जिसमें जम्मू–कश्मीर घाटी तथा सियाचिन जैसे मुख्य भाग आते है। इस तरह दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कश्मीर के 37 प्रतिशत भाग पर अपना अधिकार दर्शा रहा है। जिसमें आजाद कश्मीर तथा गिलगिट, बलुचिस्तान का भाग आता है। भारत द्वारा 1970 और 1988 के बीच वहाँ पर लोकतांत्रिक स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास किया जिसके कारण 1990 तक कश्मीर की सुरक्षा भारत की आन्तरिक सुरक्षा का मुख्य मुद्दा बन गया।

कश्मीर समस्या के विवाद के कारण

कश्मीर समस्या का उदय उन परिस्थितियों में हुआ जब 1947 में भारत व पाकिस्तान को ब्रिटेन द्वारा आजाद किया गया। इसके उपरान्त कुछ रियासतों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसमें कश्मीर रियासत भी एक मुख्य थी। जहां का शासक तो हिन्दु था लेकिन वहा की जनसंख्या अधिकतर मुस्लिम थी। जिसके कारण पाकिस्तान कश्मीर का मुस्लिम बहुल प्रदेश होने के कारण अपना हिस्सा समझता था। इस तरह दोनों देशों द्वारा अलग–अलग तर्क दर्शाये गये हैं। दूसरा यहाँ पर एक स्थिति और भी थी, जिसके कारण इस समस्या के उत्पन्न होने में उसका अहम् स्थान था। कश्मीर की उत्तरी तथा पश्चिमी सीमाएँ चीन तथा अफगानिस्तान से भी मिलती थी, जिस कारण उस समय भारत के गर्वनर जनरल लार्ड माऊटबेटन ने अक्तुबर, 1947 में कश्मीर के महाराजा को आदेश दिया कि या तो वह भारत या पाक किसी एक देश में शामिल हो जाए या ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाए। इस प्रकार अब इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होने के उपरान्त महराजा हरि सिंह के समक्ष काफी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार बाद में हरि सिंह के देरी से फैसला लेने के कारण जब पाकिस्तान को लगने लगा कि महाराज कश्मीर को भारत में शामिल करना चाहता है तो उसने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस तरह यह स्थिति और भी विकट रूप धारण करती चली गई।

यहाँ पर कुछ क्षेत्रिय विवरण के आधार पर कश्मीर को भारत व पाकिस्तान तथा चीन के समक्ष दर्शाया गया है।

Administered by	Area	Population	% Muslim	% Hindu	% Buddhist	% Other

India	Kashmir Valley	4 million	95%	4%	-	-
	Jammu	3 million	20%	66%	-	4%
	Ladakh	0.25 million	48%	-	50%	3%
Pakistan	Northern Areas	1 million	99%	-	-	-
	Azad Kashmir	2.6 million	100%	-	-	-
China	Aksai Chin	-	-	-	-	-

दोनों देशों के तर्क का विवरण

कश्मीर पर भारत के विचार

- कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 25 अक्तुबर, 1947 को भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, जिसे भारत ने 27 अक्तुबर, 1947 को स्वीकार कर लिया। क्योंकि भारत के गर्वनर जनरल ने 1935 के अधिनियम तथा 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में यह पारित किया कि कोई भी रियासत अपनी मर्जी से किसी भी देश में शामिल हो सकती है। इस तरह कश्मीर पर भारत का अधिपत्य बनता है।
- जम्मू कश्मीर की सैवधानिक संस्था ने भी सवसम्मति से महाराजा हरि सिंह की इस घोषणा को स्वीकार कर लिया और घोषणा कर दी गई कि सम्पूर्ण भारत के साथ–साथ कश्मीर में भी भारत का संविधान माना जायेगा।
- United Nations Security Council के प्रस्ताव 1172 में भी यह दर्शाया गया है कि भारत बिना किसी भाषणबाजी या जनमत संग्रह के सिद्धान्त के बिना कश्मीर को भारत में शामिल करना चाहता है।
- United Nations Security Council के प्रस्ताव 47 में भी दर्शाया गया है कि Council ने अक्तुबर, 1947 को पाकिस्तान की कश्मीर में वापिस जाने का आदेश दिया लेकिन क्षेत्र तथा जनतंत्र के आधार पर पहले ही वहाँ की जनसंख्या भारत में शामिल होना चाहती थी।

- भारत में द्वैद्ध राष्ट्र के सिधान्त को अस्वीकार कर दिया जबकि पाकिस्तान ने मुस्लिम बहुल प्रदेश होने का हवाला देकर कश्मीर को पाक का हिस्सा बताया।
- कश्मीर को भारत ने अपने संविधान के अनुछेद 370 में कश्मीर का शासन अलग स्थापित किया हुआ है लेकिन यह भारत के संविधान के अनुरूप कार्य करेगा।
- भारत ने शिमला समझौते के नियमों का हवाला देकर भी कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है।

कश्मीर पर पाकिस्तान के विचार

- पाकिस्तान ने अपने तर्क में बताया है कि महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने की घोषण तब की थी जब पाकिस्तान की सेना कश्मीर घाटी में काफी अन्दर तक अपना अधिकार जमा चुकी थी। इस तरह देरी से महाराजा द्वारा की गई घोषणा का कोई औचित्य नही बनता।
- पाकिस्तान ने बताया कि कश्मीर में अधिकतर जनता मुस्लिम थी इस लिए वे सभी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं लेकिन वहां के महाराजा हरि सिंह ने जबरदस्ती वश कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा कर दी।
- 1990 तथा 1999 के मध्य कुछ संगठनों ने भारतीय सेना पर सर्वे किया जिसमें ब्यौरा दिया कि भारतीय सेना कश्मीर की जनता को उग्रवादी मानकर कम से कम 4500 लोगों को मार चुकी है और साथ ही करीब 4000 औरतों का बलात्कार भी उनके द्वारा किया गया है, जिनकी आयु 7 से 50 साल के बीच थी।
- कश्मीर के मुख्य नेता अब भी पाकिस्तान में शामिल होने की मांग कर रहे है। इस तरह कश्मीर को स्वतंत्र तथा पाक में शामिल होना स्वीकार किया जाए।

- इस तरह दो देशों की थ्योरी के आधार पर जिसमें बटवारे का नाम आता है। उसके आधार पर कश्मीर पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, दूसरा वहां मुस्लिम जनता की बहुलता भी है।
- पाकिस्तान ने बताया कि यह सभी कार्यवाहियाँ भारत के अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर में हो रही है तथा वहाँ भारतीय सेना का जमावड़ा है और वहाँ बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। इसलिए वहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए।
- मानवाधिकार कमीशन द्वारा भी ब्यौरा दिया गया कि भारतीय सेनाओं द्वारा वहां के आम नागरिकों को उग्रवादी मानकर मारा जा रहा है तथा महिलाओं की अस्मत को लूटा जा रहा है तथा दूसरे पाकिस्तान ने 1960 के चिनाव नदी के समझौते के आधार पर बताया कि चिनाव नदी के उत्तर में मुसलमानों की अधिकता है इसलिए उसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए तथा दूसरी तरफ का क्षेत्र भारत को दे दिया जाए।

निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि 1947 से लेकर आज तक कश्मीर भारत व पाकिस्तान के लिए एक विवाद का विषय बना हुआ है तथा दोनों देशों के विचारों में मतभेद चले आ रहे है। दोनों ही देश कश्मीर पर अपना–अपना अधिकार भी दर्शातें आते रहे है। एक तरफ भारत का कहना है कि 1935 तथा 1947 के अधिनियम में कहा गया है कोई भी रियासत जो भारत तथा पाक में ब्रिटेन द्वारा शामिल नहीं की गई, वह अपनी इच्छा से दोनों देशों में किसी भी देश में शामिल हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इस तरह कश्मीर का भारत में शामिल होना भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा कश्मीर में मुस्लिम बहुल जनसंख्या अधिक होने के कारण पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक मानता है।

सन्दर्भ सूची

1. चौधरी सलाऊदीन सोहिब (8 अक्तूबर, 2010) पाकिस्तान अबाउट पोलिसी इन कश्मीर।
2. हार्ड डाइवरसिटी, जर्नल ऑफ डैमोकरेसी, पेज 54–65
3. आनन्द ए. एस. फार्म्र चीफ जास्टिस ऑफ इण्डिया इन हिज बुक (दा कान्स्टियूशन ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर)
4. कोटरू एम. एल., कश्मीर स्टोरी, "कश्मीर इनफॉरमेशन नेटवर्क, 22 मई, 2011
5. फूल टैक्सट ऑफ रेव्यूलेशन, 1172, 2 फरवरी, 2010
6. इण्डिन एम्बेंसी वांशिगटन डीसी ए काम्परिहैन्सिव नॉट आन जम्मू एण्ड कश्मीर, (इण्डियन एम्बेंसी, ओ. आर. जी) 2 फरवरी, 2010
7. हार्डग्रेव रॉर्बट, "इण्डियाः दा डायलायस ऑफ डाईवरसिटी, जर्नल ऑफ डामौकरेसी, पेज 54–65
8. अकबर एम. जे., एक्र्सटिंग मोरल फोर्स, 3 सितम्बर, 2002
9. मिनिस्ट्री ऑफ एक्ट्रन्ल अफेयर, इण्डिया, शिमला एग्रीमैन्ट।
10. आजाद कश्मीर रेजीमैन्ट, पाकिस्तान, ओ. आर. जी., जी. ओ. वी, 15 अगस्त, 1947, पी0 के
11. स्कूफिल्ड विक्टोरिया, "कश्मीरः दा ओरिजन ऑफ दा डिस्पीयूट, 16 जनवरी, 2002
12. कनफलिक्ट रेप विक्टमः अबनडोनैड एण्ड फोरगेटन बाय सैयद जुमैद हासमी, 2, फरवरी, 2010
13. कश्मीर वान्ट असैसन टू पाकिस्तान, अंतिक
14. स्कूफिल्ड विक्टोरिया (17 जनवरी, 2012) साऊथ एशिया कश्मीर फारगेटन पलिबिसेट
15. एडम ब्रैड, एशिया ऑफ हयूमन राईटन वॉच (31 जनवरी, 2001), इण्डिया परोसिक्यूट पोलिस फॉर कीलिंग इन जम्मू एण्ड कश्मीर।

16. सैनगुप्ता सोमीनी (8 फरवरी, 2007) इण्डियन ऑर्मी एण्ड पोलिस टाईड टू कश्मीर किलिंग, दा न्यूयार्क टाईम्स।